


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख आहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
7 25/24	पत्रावली पेश हुई। अभ्यर्था उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब दवा दिनांक 29/8/24 को पेश हो।	
8 29/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब दवा पेश जो शाब्दिक लिखा गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में दिनांक 5/12/24 को पेश हो।	
5/12 24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण लास्य वादी में निपट है। वादीगण द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा-32(3) RT Act पेश किया गया है। यदि कोई tenant जो Land holder से written lease प्राप्त करने के लिये पत्र है, धारा 32 RT Act के ^{or counter part} अर्थात् lease प्राप्त नहीं करता है तो वह पत्र tenant, lease or counter part लेने के लिये Land holder के विरुद्ध धारा-32(3) RT Act में सहायक कमेक्टर/अप्युंड अधिकारी के त्यापतय से वाद दायर कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में वादीगण द्वारा वाद पत्र 32(3) RT Act में दायर किया गया है जबकि वाद का विषय व अनुतोष धारा-31 RT Act के अर्थात् गांव के आबादी क्षेत्र में एक-एक 250-250 वर्ग मीटर के Residential house उपलब्ध कराने का है। वाद पत्र (plaint) के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादीगण को धारा-31 RT Act के अर्थात् अनुतोष चाहिए, ना कि धारा 32 RT Act के अनुतोष चाहिए। यहां धारा-31 व 32 RT	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नम्बर
जिल्हा
हुक्म
में

Act के प्रावधानों का अंतर्भाव भीतरपक्ष है :-

Sec 32 :- Right to written lease and Counter part

(2) every tenant shall be entitled to receive from his land holder a written lease consistent with the provisions of this Act in the prescribed form and containing the prescribed particulars.

यहां land holder को धारा 5(36) RT Act में परिभाषित किया गया है। Land holder shall mean the person to whom rent is or, but for a contract, express or implied, would be, payable. वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार राज्य में land holder हैं। यदि कोई tenant अपनी किसी land को किसी अन्य व्यक्ति को लीज पर देता है या किसी से भूमि लीज पर लेता है तो ऐसे lessee and lessor के मध्य के contract या तो लीज एग्रीमेंट धर भूमि धारक (तहसीलदार) के समक्ष आवेदन करने पर The Rajasthan tenancy (Government) Rules 1955 के नियम 18 के अर्धीन

Form 'c' में इसी format में स्वीकार lease / counterpart जारी करेगा। यदि भूमि धारक तहसीलदार ऐसे tenant को lease प्रदान नहीं करता है तो ऐसा tenant न्यायमय सहायक कलेक्टर या न्यायमय उपखंड अधिकारी के समक्ष धारा - 32(3) RT Act में सूट दायर कर सकता है। इसका प्रकारण में यदि tenants द्वारा (lessee or lessor) द्वारा ऐसी किसी lease of land के लिए form-'c' में land holder के



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
----------------	---------------------------------------	--

आवेदन करने और भूमि धारक तहसीलदार को खारिज करने या lease/counterpart की sign करने से मना करने का कोई भी ती वाडफा (plaint) में अंकन है और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य फावली पर उपलब्ध है।
 अतः वडीगा का वाड फा 32 (3) RT Act पोषणीय नहीं है।

इसी प्रकार section 31 of RT Act के प्रावधानुसार कोई tenant जिसके पर किसी गांव, जहां उसकी कृषि भूमि स्थित है, की आवाडी में कोई Residential house नहीं है, जो free of charge उस गांव की आवाडी भूमि में एक Residential house फ्रीडूम site (जगह) प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसे tenant जो for a site for a residential house सम्बन्धित तहसीलदार के समक्ष आवेदन करना पड़ेगा जिसमें सभी particulars का सार उल्लेख करना होगा।

धारा-31 RT Act के प्रावधानों को effect देने के लिए The Rajasthan tenancy (Government) Rules 1955 के नियम - 8 से 16 में प्रावधान दिये गये हैं। नियम 8/8A के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार नियम 9 व 10 में दिये पत्रों से मांग पत्र के particulars के सत्यता के सम्बन्ध में एवं abadi site की उपलब्धता की रिपोर्ट लेगा। पत्रों के अधीन नियम 11 व 12 में निर्धारित रिपोर्ट मय साइर पत्र/मयशा पेश करेगा। अतः धारा-31 RT Act एवं नियम 8 से 16 Rajasthan tenancy (Government) Rules के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-31 RT Act के आवेदन का अधिकार सम्बन्धित तहसीलदार का है, ना कि उपखंड अधिकारी का है।



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज

नफर
अवकाश
हुक्म की
में

वाडीगण के plaints के अवेदन से स्पष्ट है कि वाडीगण का अनुबंध धारा-31 RT Act के अधीन ग्राम धुतुरियावाला की आवर में Residential house है 250 की गज की site प्राप्त करने का है जिसका इलाका तहसीलदार, पिडावा का है।

उपरोक्त विवेचन एवं विवेचना के आधार पर वाडीगण को वाड U/S 32(3) RT Act का इसी स्तर पर बवारिज किया जाता है। तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया जाता है कि वाडीगण / प्राचीगण द्वारा अवेदन धारा-31 RT Act अवेदन किये जाने पर The Rajasthan Tenancy (Government) Rules 1955 के नियम 8 से 16 के प्रावधानों अनुसार निर्णय को फावली फैसलानुसार हीकर तबख से कम दोष वाड तालीम तदानीय न दायर हो।



05/12/24

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)